कृषि विस्तार प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
का दसवां बैच (2016-17)

(दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम)

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का संगठन)

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030, भारत.

दूरभाष: 91-40-24016702-706, फैक्स: 91-40-24015388

संस्थान

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज) भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 1987 में तेजी से बढ़ती हुई उन्नति तथा कृषि क्षेत्र की भिन्नताओं में कृषि विस्तार की चुनौतियों की प्रतिक्रिया के रुप में हुई है। भारतीय कृषि में वाणिज्य तथा विपणन अभिमुखता पर बढ़ती हुई दृष्टि के साथ-साथ कृषि तकनीक में बढ़ती हुई क्लिष्टताओं ने कृषि विस्तार व्यवस्था के पुनराभिमुखीकरण तथा आधुनिकीकरण की ओर कदम बढ़ाने की मांग की है। इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा कार्मिकों के कौशलीय प्रशिक्षण द्वारा वर्तमान ढ़ांचे में परिवर्तन लाने के लिए विस्तार व्यवस्था के प्रबंधन के प्रभावशाली तरीकों की आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मैनेज की स्थापना की गयी है।

मैनेज प्रशिक्षण, परामर्श, प्रबंध शिक्षा, अनुसंधान एवं सूचना सेवाओं में अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहा है।

मैनेज, केन्द्र प्रायोजित "विस्तार सुधार हेतु राज्य विस्तार कार्यक्रमों का समर्थन" योजना के कार्यान्वयन को सुगम बना रहा है, जो कि सम्पूर्ण देश में कार्यान्वित किया जा रहा है । मैनेज शैक्षणिक कार्यक्रम जैसे: स्नातकोत्तर कृषि विस्तार प्रबंध डिप्लोमा (पीजीडीएईएम) और निवेश डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवा डिप्लोमा (देसी) तथा स्नातकोत्तर प्रबंध डिप्लोमा (कृषि व्यापार प्रबंध) {(पीजीडीएम (एबीएम)} भी चला रहा है। विशेष फसल/पशुधन/मत्स्यपालन में विशेषज्ञों के रुप में तैयार करने हेतु कृषि विस्तार कर्मियों को विकास करने के लिए मैनेज द्वारा "सर्टिफाईड फार्म एड्वाईसर" कार्यक्रम को प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।

‘विस्तार व्यवस्था में व्यावसायिकता को प्रोत्साहित करना’

किसानों की बड़ी संख्या को विस्तार सहायता उपलब्ध कराने में सरकारी विस्तार व्यवस्था मुख्य भूमिका निभा रहा है । अधिक संख्या के छोटे खेत, पैदावार की कमियां, इनपुट का उपयोगिता मे असमानताएं और प्राकृति संसाधनों की हानि जैसे विषय भारतीय कृषि में विचारणीय विषय है जिसमें सरकारी विस्तार व्यवस्था मुख्य भूमिका निभा सकती है। भारतीय कृषि की व्यापकता एवं विभिन्नताओं के अनुरुप सरकारी विस्तार व्यवस्था को दृढ़ बनाया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विस्तार कर्मियों की अनुमानित संख्या 1,30,000 है, जो कृषि एवं तत्संबंधी क्षेत्रों में जिला एवं ब्लाक स्तरों पर कार्यरत है । उन्हें कृषि एवं तत्संबंधी क्षेत्रों मे इच्छित परिवर्तनों को लाने के लिए औत्साहिक और उपयोगी ज्ञान के श्रोत के रुप में परिवर्तित करना होगा । आगे, इस बारे मे बल दिया गया है कि विद्यमान विस्तार कर्मियों की क्षमता को मजबूत एवं वृद्धि करने का कोई भी प्रयास, कृषि विकास के लिए मान्य कदम है । इसी प्रकार, निजी विस्तार क्षेत्र में कार्यरत कृषि व्यापार कंपनियाँ, किसान संगठन, कृषि-उद्यमि, इनपुट डीलरों, गैर सरकारी संगठनों एवं सहकारी संगठनों, की बड़ी संख्या है जो सरकारी विस्तार व्यवस्था के पूरक समर्थन के साथ साथ साझेदारी में भी निम्नस्तर से कार्य कर रहे हैं । इन निजी विस्तार कर्मियों को, अपनी सुपुर्दुगी प्रणाली की प्रभावशालिता में वृद्धि लाने के लिए क्षमता निर्माण के माध्यम से सबल बनाने की आवश्यकता है ।

सार्वजनिक और निजी विस्तार कर्मियों की सर्वोपरि महत्व को पहचानते हुए, मैनेज ने 2007 के दौरान दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से **स्नातकोत्तर कृषि विस्तार प्रबंध डिप्लोमा (पीजीडीएईएम)** को प्रारंभ किया है। इस पाठ्यक्रम को कृषि व सहकारिता विभाग (डीएसी), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए व एफडब्ल्यू), भारत सरकार द्वारा विस्तार सुधार योजना के तहत 60 प्रतिशत (90/100 हिमालय/उत्तरपूर्वी राज्य/केंद्रशासित प्रातों को क्रमश: वहन किया जाएगा। बाकि राशि में से (40/100 प्रतिशत) राज्य सरकारों द्वारा दिया जाएगा।

पाठ्यक्रम का उद्धेश्य

- विस्तार कर्मियों की तकनीकी- प्रबन्धकीय (टेक्नो-मैनेजीरियल) दक्षताओं में वृद्धि करना ।
- विस्तार कर्मियों को कृषि एवं तत्संबंधी क्षेत्रों के नवीन कार्यो से अवगत कराना ।
- विस्तार कर्मियों को भागीदारी निर्णायन हेतु नवीन उपकरणों तथा तकनीकों संबंधी ज्ञान प्रदान करना।
- कृषि मूल्य-श्रृंखला (एग्रि वैल्यू-चेन) में दक्ष बनाने के लिए विभिन्न विस्तार मॉडलों में गहनता विकसित करना ।

पाठ्यक्रम की रुपरेखा और विषय-वस्तु :

पाठ्यक्रम के 32 क्रेडिट होंगे और दो अर्धवार्षिकों में प्रदान किया जाएगा । प्रथम अर्धवार्षिकी में 14 क्रेडिट और द्वितीय अर्धवार्षिकी में 18 क्रेडिट होंगे । एक क्रेडिट अध्ययन 30 घण्टों के समान है । प्रथम अर्धवार्षिकी में पॉच पाठ्यक्रम होगे जिनमें से प्रत्येक का एक **कोर्स** तथा एक **एसाईनमेंट** होगा । द्वितीय अर्धवार्षिकी में पॉच कोर्स और प्रत्येक के एक **एसाईनमेंट** सहित एक परियोजना कार्य भी होगा ।

पाठ्यक्रम, मुद्रित पठन सामग्री, ई-लर्निंग रिसोर्सेस (पूर्व-रिकार्ड किया गया डी वी डी मॉड्यूल) और लेक्चर सीरीज-सह सम्पर्क कक्षाओं से युक्त है । लेक्चर सीरीज-सह सम्पर्क कक्षाएं प्रत्येक अर्धवार्षिकी में पॉच दिनों के लिए समेति (SAMETI) या सम्बद्ध राज्य के किसी चुनी गई संस्था पर परीक्षा प्रारंभ होने के काफी दिन पहले आयोजित की जाएगी ।

सत्र i व ii हेतु पाठ्यक्रमों की रुपरेखा

सत्र - i

पाठ्यक्रम सं.	पाठ्यक्रम का शीर्षक*	क्रेडिट*
एईएम 101:	कृषि विस्तार प्रबन्ध की प्रस्तावना	(4 क्रेडिट)
एईएम 102:	कृषि नवोन्मेषण का संचार	(3 क्रेडिट)
एईएम 103:	विस्तार प्रबन्ध के सिद्धांत और पद्धति	(3 क्रेडिट)
एईएम 104:	कृषि विस्तार में सहभाग दृष्टिकोण	(2 क्रेडिट)
एईएम 105:	कृषि विस्तार में अनुसन्धान पद्धति	(2 क्रेडिट)

सत्र - ii

पाठ्यक्रम सं.	पाठ्यक्रम का शीर्षक*	क्रेडिट*
एईएम 201:	बाजार- उन्मुख विस्तार	(4 क्रेडिट)
एईएम 202:	कृषि व्यापार तथा उद्यमशीलता विकास	(3 क्रेडिट)
एईएम 203:	कृषि विस्तार में परियोजना प्रबंध	(2 क्रेडिट)
एईएम 204:	कृषि में सूचना और संचार तकनीकी	(3 क्रेडिट)
एईएम 205:	धारणीय आजीवीका में कृषि विकास	(3 क्रेडिट)
एईएम 206:	परियोजना कार्य	(3 क्रेडिट)

सामान्य सूचना:

योग्यता मापदन्ड :

(1) विस्तार कर्मी जिन्होने कृषि व तत्संबंधी क्षेत्रों जैसे बागवानी, पशु संवर्धन, मत्स्यपालन आदि, में स्नातक हैं और केन्द्र/राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के सरकारों या राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में वर्तमान में कार्यरत इस कार्यक्रम मे प्रवेश लेने हेतु पात्र है। सरकारी विस्तार कर्मियों को **वरीयता दी** जाएगी। बीटीएम, एसएमएस, आत्मा और केवीके के कर्मचारी भी इस कार्यक्रम के लिए पात्र है।

(2) कृषि, तत्संबंधी विषयों के स्नातक और कृषि व्यापार कंपनियों, एनजीओ, सहकारी किसान संगठन में कार्यरत स्नातक, कृषि-उद्यमी और इनपुट डीलर भी पात्र है।

सरकारी कर्मियों के लिए प्रवेश और शुल्क :

सरकारी विभागों के आवेदकों को, पीजीडीएईएम में प्रवेश पाने हेतु अपने आवेदनों को अपने प्राधिकारियों के पास उस जिले के परियोजना निदेशक, आत्मा को अग्रेषित करने के निवेदन सहित प्रस्तुत करना होगा। आवेदनों की जॉच के पश्चात् परियोजना निदेशक उन्हें सम्बद्ध राज्य के निदेशक, समेति (SAMETI) को भेजेंगे। जहॉ कहीं भी आत्मा प्रकोष्ठ या समेति (SAMETI) की अभी स्थापना होना बाकि है, वहॉ के आवेदनों को सम्बद्ध राज्य के स्टेट नोडल अधिकारी (एसएनओ), विस्तार सुधार को भेजना होगा। निदेशक, समेती /एसएनओ द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों को 2016-17 बैच में प्रवेश के लिए मैनेज को अनुशंसा करेंगे।

इस पाठ्यक्रम के लिए **पाठ्यक्रम शुल्क** में विस्तार सुधार योजना के तहत कॉस्ट शेरिंग आधार पर 60:40 प्रतिशत (90:10 और 100) केंद एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित करना होगा।

निजी प्रत्याशियों के लिए प्रवेश और शुल्क :

कृषि व्यापार कंपनियों, एनजीओं, सहकारी संस्थाओं में कार्यरत आवेदकों और कृषि-उद्यमियों, इनपुट डीलरों, प्रगतिशील किसान, निजी क्षेत्रों के कर्मचारी आदि., की श्रेणी में रहने वालों को पाठ्यक्रम शुल्क रु15,000/- एक किश्त में भुगतान करना होगा। **राशी का भुगतान, मैनेज हैदराबाद पर देय, डिमाण्ड ड्राफ्ट के रुप में अपने आवेदन के साथ सीधे मैनेज, हैदराबाद को भेजना होगा।**

मूल्यांकन :

आवेदक का, लिखित परीक्षा व नियत कार्य (एसाईनमेंट) में उनके निष्पादन के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। **प्रत्येक पाठ्यक्रम** हेतु लिखित परीक्षा 70 अंकों का और नियत कार्य 30 अंकों का होगा। **प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु लिखित परीक्षा तथा नियत कार्य दोनो को मिलाकर न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। प्राजेक्ट कार्य में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना होगा।** 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों को विशेष योग्यता (डिस्टिंक्शन) और 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों को प्रथम श्रेणी प्रदान की जाएगी। 2016-17 के आवेदक जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहें उन्हें केवल वर्ष 2017-18 के I व II सेमिस्टर की परीक्षाओं में उपस्थित होने देंगे। 2017-18 के उपरांत कोई और अवधि नहीं दी जाएगी।

I और II सेमिस्टर पी जी डी ए ई एम की सप्लिमेंटरी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए:

(a) जो आवेदक किसी भी परीक्षा को पुन: देना चाहता है उसे शुल्क रु.100/- प्रति विषय देना होगा।
(b) जो आवेदक किसी एसाईनमेंट को पुन: रखना चाहते है उसे शुल्क रु.50/- प्रति एसाईनमेंट देना होगा।
(c) परियोजना कार्य पुन: प्रस्तुत करने वाले आवेदक को शुल्क रु.75/- भरना होगा।
(d) जो आवेदक किसी भी परीक्षा को पहली बार लिख रहा है तो उसे कुछ नहीं अदा करना है।
(e) जो आवेदक प्रथम बार अपने एसाईनमेंट या परियोजना कार्य प्रस्तुत कर रहे है उसे काई शुल्क अदा नहीं करना होगा।
(f) जो अनुपस्थित आवेदक पहली बार अपनी परीक्षा या एसाईनमेंट या परियोजना कार्य प्रस्तुत करना चाहिए वे निशुल्क प्रस्तुत कर सकते है।

नियत कार्य (एसाईनमेंट)

पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में नियत कार्य को प्रस्तुत करना (एसाईनमेंट) अनिवार्य है । नियत कार्य को प्रस्तुत नहीं करने पर उसे अपूर्ण माना जाएगा । पाठ्यक्रम के अनुसार नियत कार्य विषयों को मैनेज वेबसाइट पर रखा गया है । प्रत्याशियों को सत्र समाप्ति परीक्षा में उपस्थित रहने के पूर्व नियत कार्य को प्रस्तुत करना होगा ।

परियोजना कार्य

पाठ्यक्रम एईएम 206: परियोजना कार्य (3 क्रेडिट) पूर्ण करना पीजीडीएईएम सपन्न करने के लिए अनिवार्य है। आवेदकों को एईएम 206 की सीमा में से ए,बी,सी वर्ग में किसी एक विषय को चुनना होगा (विषय एवं निर्देश सूत्र मैनेज वेबसाईट में देखे जा सकते है)। विषय अपने कार्य क्षेत्र में तथा किसानों के लिए उपयोगिता और अपनी रुचि अनुसार लिया जा सकता है।

ए,बी,सी, वर्गों में से चुने गए विषय को परियोजना कार्य के रुप में क्षेत्र **क्रिया कलाप (Field activity)** के लिए लेना होगा जिसे आवेदक को अपने अधिकार क्षेत्र मे क्रियान्वित कर किसानों/स्टेक होल्डरों के साथ क्षेत्र स्तर पर किए गए कार्य को उसकी किसानों की उपयोगिता सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। द्वितीय सत्र की परीक्षाओं से पहले परियोजना कार्य रिपोर्ट को जमा करवाना होगा। परियोजना कार्य रिपोर्ट हेतु 100 अंक निर्धारित है। परियोजना कार्य में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

परिणाम

पाठ्यक्रम का अंतिम परिणाम मैनेज वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा । मूल डिप्लोमा प्रमाणपत्रों को अंक तालिका के साथ सम्बंधित समेति (SAMETI) को भेजा जाएगा । **यदि प्रत्याशी प्रमाण-पत्र खो देता है, तो उसे मैनेज, हैदराबाद के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से रु.500/- के भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है ।**

वचन (अंडरटेकिंग) : पीजीडीएईएम के लिए पंजीकृत सरकारी विभाग के प्रत्याशियों को यह वचन देना होगा कि वें दो वर्षों की अवधि के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे अन्यथा सम्पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क अर्थात, रु. 15,000/- उनके वेतन से वसूल किया जाएगा । इस वचन को आवेदन पत्र के साथ मैनेज को प्रायोजित प्राधिकारी/विभाग द्वारा भेजना होगा । **पंजीकरण की वैधता सभी प्रत्याशियों हेतु केवल दो वर्षो के लिए होगी जिसमें निजी क्षेत्र के प्रत्याशी शामिल हैं और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में विस्तार सुधार योजना के तहत कार्यरत बी टी एम एवं एस एम एस के लिए दो साल है ।**

टिप्पणी: पंजीकरण के एक माह के पश्चात सरकारी कर्मियों के द्वारा पाठ्यक्रम से नाम वापसी के निवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। किसी ऐसे निवेदनों को केवल आत्मा/समेती के माध्यम से भेजना होगा। सरकारी कर्मियों के आवेदनों को केवल उचित चैनल के माध्यम से पहुँचना होगा और मैनेज को सीधे भेजे गये आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रत्याशियों का अंतिम प्रवेश, के बारे में विवेकाधिकार महानिदेशक, मैनेज को ही होगा।

शिक्षण माध्यम : अंग्रजी/हिन्दी

शैक्षणिक वर्ष : 2016-17 के बैच के आवेदनों को प्राप्त करने हेतु **अंतिम तिथि 16-12-2016** है।

मैनेज वेबसाइट

यह वेबसाइट निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराती है :

1. प्रत्याशियों के प्रवेश पत्र और प्रवेश सूची
2. अंग्रेजी व हिन्दी में अध्ययन सामग्री विशेषज्ञों के द्वारा प्रत्येक विषय पर पूर्व रिकार्ड किये गये (वीडियो) लेक्चर उपलब्ध हैं।
3. नियत कार्य के विषय और-परियोजना रिपोर्ट के विषय
4. संपर्क कक्षाए, एसाइनमेंट, परियोजना कार्य और सत्रांत परीक्षाओं संबंधी निर्देश सत्र।
5. प्रश्न बैंक
6. परीक्षा सारणी
7. अंक तालिका और परिणाम

अधिक विवरणों के लिए कृपया सम्पर्क करें :

टेली फैक्स : 040-24016689 मोबाईल नं. : 7729991190 ई मेल : directoraem@manage.gov.in, priyack@manage.gov.in	निदेशक एवं प्रधान समन्वयक (पीजीडीएईएम) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबन्ध संस्थान (मैनेज) राजेन्द्रनगर हैदराबाद - 500 030 वेबसाइट :www.manage.gov.in

आवेदन जमा करने के लिए अंतिम तिथि : 16-12-2016

स्नातकोत्तर कृषि विस्तार प्रबंध डिप्लोमा (पीजीडीएईएम)

आवेदन पत्र (2015-16)

केवल कार्यालय उपयोग हेतु
क्र.सं. :
केन्द्र का नाम :
राज्य :

एक हस्ताक्षरित फोटो चिपकाए, और अलग से एक संलग्न करें

कृपया अपने स्वयं के हस्ताक्षर में बड़े अक्षरों में आवेदन भरें

1. **नाम बड़े अक्षरों में डॉ./श्री/श्रीमती/कु.**

2. जन्म तिथि (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) दिनांक ☐ माह ☐ वर्ष ☐

3. 1-10-2016 को आयु ☐

4. लिंग पुरुष ☐ स्त्री ☐

5. क्या आप अ.जा./ अजजा/ अ.पि.व./शारीरिक विकलांग हैं ?
   अ.जा. ☐ अ.ज.जा. ☐ अपिव ☐ शा.वि. ☐ अन्य ☐

6. सरकारी कर्मी ☐ गैर-सरकारी ☐ निजी संगठन ☐ अन्य ☐

7. विभाग/संस्थान/एनजीओं/कृषि व्यापार कंपनी/सहकारी संस्था/किसान संगठन/अन्य का नाम, डाक पता के साथ ।

आवेदक का वर्तमान पद															
कार्यालय/विभाग/संस्थान का नाम															
वार्ड/सर्कल और स्थान															
तालुका/पोस्ट आफिस															
जिला															
राज्य															
पिन कोड *अनिवार्य															

8. आवेदक का स्थाई पता

वार्ड/सर्कल और स्थान															
तालुका/पोस्ट आफिस															
जिला															
राज्य															
पिन कोड *अनिवार्य															

दूरभाष सं. (एसटीडी कोड के साथ)	
कार्यालय :	निजी :
मोबाईल :	मोबाईल* :
ई-मेल :	ई-मेल* :

*अनिवार्य

9. शैक्षणीक योग्यताएं (साक्ष्यांवित प्रतियां संलग्न करें)

क्र. सं.	परीक्षा, स्नातक से प्रारंभ करें	उत्तीर्णता का वर्ष	महाविद्यालय	विश्वविद्यालय	श्रेणी/डिवीजन
1.	डिग्री (स्नातक) (…………………..)				
2.	स्नातकोत्तर (…………………..)				
3.	पीएचडी (…………………..)				

टिप्पणी: *बीएससी (कृषि), बी.वी.एस.सी., मात्सयकी. . . . . **अन्य**
**एमएससी (कृषि), एम.वी.एस.सी., एम. मात्सयकी. . . . .

10. अनुभव (वर्षो में) :
11. किस भाषा में आप अध्ययन सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं : अंग्रेजी ☐ हिन्दी ☐

12. **अ) वचन**
मै एत्द्वारा प्रमाणित करता हूॅ कि मेरे द्वारा ऊपर प्रस्तुत की गयी सभी सूचना मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सही है । मैं पाठ्यक्रम के निर्बाध संचालन हेतु मैनेज द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियम व आचरण संहिता के प्रति बाध्य रहने के लिए सहमत हूॅ ।

आ) केवल सरकारी कर्मियों से वचन
मै एत्द्वारा वचन देता हूॅ कि मैं पाठ्यक्रम के लिए दो वर्ष*/दो वर्षो के भीतर पीजीडीएईएम को पूरा करुॅगा । अन्यथा मैं मेरे नियंत्रक प्राधिकारियों को एत्द्वारा अधिकृत करता हूॅ कि मेरे वेतन से रु. 15,000/- सम्पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क वसूल करें ।
(*) बीटीएम, आत्मा और संविदात्मक कर्मचारियों

प्रत्याशी का हस्ताक्षर,
दिनांक के साथ

13. प्रेषण प्राधिकारी
क) उच्च नियंक प्राधिकारी के हस्ताक्षर
डाक पता (पिन कोड के साथ) और फोन नं.

ख) परियोजना निदेशक (एटीएमए) के हस्ताक्षर
डाक पता (पिन कोड के साथ) और फोन नं.

ग) निदेशक समेती/एसएनओ के हस्ताक्षर
कार्यालयीन मुहर एवं डाक पता (पिन कोड नं.)
ई मेल तथा कार्यालय फोन नं.

यहाॅ आवेदन भेजें :
निदेशक एवं प्रधान समन्वयक (पीजीडीएईएम)
मैनेज, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030
ई-मेल : directoraem@manage.govin